-प्रेस नोट-

दिनांकः 14-09-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में लगातार 08 वर्षों से फरार चल रहे 25000/- के ईनामी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा थाना गागलहेड़ी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 210/17 धारा- 8/18 एनडीपीएस एक्ट में लगातार 08 वर्षों से फरार चल रहे 25,000/- रुपये के ईनामी वांछित अभियुक्त **रामकुमार उर्फ कमैन पुत्र सोमप्रकाश नि0 कस्बा व थाना गागलहेडी स्थाई पता- ग्राम जसमौर थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को जसमौर बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त रामकुमार उर्फ कमैन उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं वर्ष 2017 में कस्बा गागलहेडी में चाय की दुकान करता था तथा मेरी दुकान पर नशीला पदार्थ पकडा गया था। मैं मौके से फरार हो गया था। मैं कई वर्षों से पहाड में देहरादून व अन्य स्थानों पर जगह बदल बदलकर रह रहा था और अपना जीवन यापन कर रहा था। वर्तमान में मैं हरवटपुर, देहरादून में सुनील कुमार के किराये के मकान में पानी की टंकी थाना विकास नगर क्षेत्र में रहता हूँ। आज मैं हरवटपुर से सहारनपुर अपनी ससुराल जेल चुंगी के पास आ रहा था।

अभियुक्त का नाम पता

रामकुमार उर्फ कमैन पुत्र सोमप्रकाश नि0 कस्बा व थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर स्थाई पता ग्राम जसमौर थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1011 नरेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. का0 2217 दीपक कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

दिनांकः- 14.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त मामुन पुत्र साबिर निवासी मौहल्ला मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0सं0 209/21 एसटी नम्बर 1392/21 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मामुन पुत्र साबिर निवासी मौहल्ला मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम –

1. उ0नि0 श्री रामवीर सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
2. है0का0 71 प्रदीप सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
3. का0 1997 विनीत कुमार थाना सरसावा सहारनपुर

दिनांक: 14.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा अभियान "ऑपरेशन क्लीन" के तहत आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अवैध शराब के 30 मुकदमो में बरामद की गई कुल 545 लीटर अवैध शराब (कीमत करीब 01 लाख 35 हजार रूपये) का कराया गया विनष्टीकरण ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन क्लीन"** व माल मुकदमाती माल निस्तारण के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री रविकान्त पाराशर व उप जिला मजिस्ट्रेट सदर श्री युवराज सिंह व वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री सालिक राम गुप्ता एवं आबकारी निरीक्षक श्री राजकमल सिंह चौहान की उपस्थिति में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में व0उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह व हैड मोहर्रिर 91 अशोक कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए माल का निस्तारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के आदेश दिनांकित 02.09.202 के अनुपालन में वर्ष 20243 में **आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 30 अभियोगो में बरामद कुल 545 लीटर अवैध शराब को, जिसकी कीमत करीब 01 लाख 35 हजार रूपये** को थाना मण्डी परिसर के पीछे खाली स्थान पर जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर विनष्टीकरण कराया गया।

नष्ट की गयी अवैध शराब का विवरण –

कुल 545 लीटर अवैध शराब ।

अवैध शराब निस्तारण हेतु गठित टीम के सदस्यो के नाम–

1. श्री युवराज सिंह उप जिला मजिस्ट्रेट सदर सहारनपुर (अध्यक्ष)
2. श्री रविकान्त पाराशर क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम सहारनपुर (सदस्य)
3. श्री सालिक राम गुप्ता वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सहारनपुर
4. श्री नेमचन्द सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मण्डी सहारनपुर
5. श्री राजकमल सिंह चौहान आबकारी निरीक्षक सहारनपुर
6. व0उ0नि0 बिजेन्द्र सिंह थाना मण्डी सहारनपुर
7. है0मो0 91 अशोक कुमार थाना मण्डी सहारनपुर

दिनांक: 14-09-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन जनपद में चोरी की घटनाओ की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13/09/2024 को थाना गगोह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर **अभियुक्त अजय उर्फ गांधी पुत्र दलवीर सिंह नि0 ग्राम सिकन्दरपुर उर्फ गौसगढ थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को साकरौर तिराहे से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल रजि0 नं0 HR02 S 8031 स्पलैण्डर प्लस बरामद हुई। जानकारी करने पर मालूम हुआ कि उक्त मोटर साईकिल थाना घरोण्डा जिला करनाल हरियाणा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 378/24 धारा 305 बीएनएस से सम्बन्धित है, उक्त मोटर साईकिल के सम्बन्ध में थाना घरोण्डा जिला करनाल को द्वारा उचित माध्यम सूचना दी गयी । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त अजय उर्फ गांधी उपरोक्त के विरुद्ध थाना गंगोह जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0- 408/24 धारा 336(2)/317(5) बी.एन.एस में पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त अजय उर्फ गांधी उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैने यह मोटर साईकिल हरियाणा से चोरी की थी और पुलिस से बचने के लिए मैने इसकी नम्बर प्लेट बदल दी थी

बरामदगी का विवरणः-

01 मोटर साईकिल (स्पलैंडर प्लस)

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अजय उर्फ गांधी पुत्र दलवीर सिंह नि0 ग्राम सिकन्दरपुर उर्फ गौसगढ थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0श्री अय्यूब अली थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. है0कां0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. का0 362 रिंकू कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. का0 336 आमीन थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. का0 404 मनीष कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक - 14.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मात्र 03 घण्टे में ई-रिक्शा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी ई-रिक्शा बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 14.09.2024 को वादी मो0 इसरार पुत्र सुक्कड निवासी ग्राम खुर्द थाना जनकपुरी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की ई-रिक्शा रजि0 न0- UP 11AT 6749 को माहीपुरा तिराहा से चोरी कर लेने की सूचना के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 239/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 03 शातिर चोर/**अभियुक्तगण 1. महबूब अली पुत्र मोहम्मद इस्लाम निवासी ग्राम सलेमपुर गाडा थाना जनकपुरी सहारनपुर, 2. आसिफ पुत्र जाकिर निवासी मोहल्ला उमर कालोनी हबीब मस्जिद के पास मानकमऊ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर व 3. अंजेश कुमार पुत्र रघुवीर सिंह निवासी मौहल्ला पीठवाला कैलाशपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर** को सिचाई विभाग कार्यालय के सामने देहरादून रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के कब्जे से चोरी गयी ई-रिक्शा रंग लाल/कत्थई रजि0 नं0 UP 11AT 6749 बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया गया कि हम लोगो ने दिनांक 12.09.2024 को दोपहर के समय 12.00 बजे के आसपास जब ई-रिक्शा का मालिक खाना खाने के लिए दूर गया था तो हम लोग ई-रिक्शा चोरी करके वहाँ से भाग गये। ई-रिक्शा को बेचकर पैसे कमाने के लिए चोरी किया था। आज हम लोग ई-रिक्शा को बेचने के लिए निकले थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. महबूब अली पुत्र मोहम्मद इस्लाम निवासी ग्राम सलेमपुर गाडा थाना जनकपुरी सहारनपुर
2. आसिफ पुत्र जाकिर निवासी मोहल्ला उमर कालोनी हबीब मस्जिद के पास मानकमऊ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
3. अंजेश कुमार पुत्र रघुवीर सिंह निवासी मौहल्ला पीठवाला कैलाशपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 चोरी की ई-रिक्शा रंग लाल/कत्थई

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री यशपाल सोम थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 976 रविन्द्र कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 610 विपिन राणा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
4. है0का0735 सूरज कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
5. हो0गा0 488 राजवीर थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

दिनांकः **14.09.2024**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.09.2024 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी **अभियुक्त 1. कुलदीप पुत्र इन्द्रजीत नि0 एचबीएच इन्टर कालेज के पास कस्वा व थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 2470/22 मु0अ0स0 56/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट, वाद संख्या 888/22 मु0अ0स0 376/18 धारा 60 आबकारी अधिनिमय 272/273 भादवि, वाद संख्या 222/22 मु0अ0स0 218/19 धारा 60 आबकारी अधिनिमय 272/273 भादवि व वाद संख्या 35/22 मु0अ0स0 01/19 धारा 60 आबकारी अधिनिमय में कस्बा गागलहेड़ी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

कुलदीप पुत्र इन्द्रजीत नि0 एचबीएच इन्टर कालेज के पास कस्वा व थाना गागलहेडी स0पुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 56/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
2. मु0अ0स0 376/18 धारा 60 आबकारी अधिनिमय 272/273 भादवि
3. मु0अ0स0 218/19 धारा 60 आबकारी अधिनिमय 272/273 भादवि
4. मु0अ0स0 01/19 धारा 60 आबकारी अधिनिमय थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री प्रवेश शर्मा थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
2. है0का0 810 राहुल चौहान थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
3. का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 14.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा पशु चोरी के मुकदमों में वांछित 02 अन्तर्राज्जीय पशु चोर गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 30.07.2024 को वादी श्री मुकर्रम पुत्र जान आलम नि0 ग्राम महेश्वरीकलां थाना चिलकाना सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की गाय चोरी हो जाने की सूचना के आधार पर थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0178/24 धारा-331(4)/305ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए दशा-निर्देश दिए गये इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 14.09.2024 थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए 02 शातिर पशु चोर/अभियुक्त **1. इरशाद पुत्र कुरबान नि0 ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर व 2. मो0 शानू पुत्र चांद नि0 खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर** को कच्चा पक्का रास्ता दुमझेडा की तरफ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ पर अभियुक्तगण इरशाद व मो0 शानू उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हम दोनों शराब के नशे के आदी है हम दोनों पशुचोरी करते है जिससे हमें काभी रुपये मिल जाते है जिससे हम लोग अपने शौक पूरे करते है तथा शराब पी लेते है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. इरशाद पुत्र कुरबान नि0 ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. मो0 शानू पुत्र चांद नि0 खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर।

अभियुक्त इरशाद का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 130/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 614/15 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट 11 पशु क्रुरता अधि0 व 428/429 भादवि चालानी थाना चिलकाना
3. मु0अ0सं0 201/21 धारा 414 भादवि चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 203/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 11/16 धारा 380/411 भादवि चलानी थाना चिलकाना सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 168/02 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0 86/20 धारा 380/411 भादवि चलानी थाना चिलकाना सहारनपुर।
8. मु0अ0सं0 244/07 धारा 307/323/353/279/336 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट व 48/8 सीएस एक्ट चलानी थाना छप्पर जिला यमुनानगर हरियाणा।
9.मु0अ0सं0 124/24 धारा 457/380 भादवि चलानी थाना बुडिया यमुनानगर हरियाणा
10.मु0अ0सं0 133/23 धारा 380भादवि चलानी थाना डोईवाला जिला देहरादून उत्तराखण्ड
11. मु0अ0सं0—178/2024 धारा- 331(4)/305(ए) बीएनएस थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्री केरन सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर
2. है0का0 246 हेमन्त कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
3. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर
4. का0 2465 राकेश कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 14.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि सोशल मीडिया पर एक विडियो वायरल हो रहा है जिसमे एक व्यक्ति ग्राम चुनहेटी गाडा मे पानी की बडी टंकी मे दिखाई दे रहा है इस सम्बन्ध मे मौके पर जाकर जांच की गयी तो फुटेज मे दिखाई देने वाला व्यक्ति ग्राम चुनहेटी गाडा का ही रिटू पुत्र हरिराम है जो राज मिस्त्री का कार्य करता था उसके द्वारा उक्त फुटेज करीब दो वर्ष पुरानी होना पाया गया रिटू पुत्र हरिराम द्वारा उक्त टंकी मे रिपेयरिंग का कार्य किया गया था वर्तमान मे पिछले करीब दो वर्षो से पानी की सप्लाई गांव मे डायरेक्ट की जा रही है टंकी मे स्टोरेज नही होता है। उक्त वीडियो के सम्बन्ध मे रिटू उपरोक्त का आस पास के लोगो के साथ तनाव व आमदा फसाद हो रहा था। थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा अभियुक्त रीटू उपरोक्त को धारा 170 बीएनएसएस मे गिरफ्तार किया गया है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त रिटू उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मै राज मिस्त्री का कार्य करता हूं करीब दो वर्ष पूर्व मेरे द्वारा गांव की टंकी मे रिपेयरिंग का कार्य किया गया था यह वीडियो उसी समय की है करीब दो वर्ष से टंकी मे पानी स्टोरेज नही होता है गांव मे पानी की सप्लाई डायरेक्ट हो रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रिटू पुत्र हरिराम निवासी ग्राम चुनहेटी गाडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
3. का0 2503 राहुल कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर